सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 124/2014

अब्दुल हकीम पुत्र श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 09 मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. बाबू भाई पुत्र श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी ग्राम पथरीया तहसील मांगरोल पोस्ट ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. खातून बेगम पुत्री अब्दुल रजाक पत्नी मोहम्मद सिद्दिक जाति मुसलमान निवासी मिश्रा टोडी मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां
4. उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री हरिओम यादव
वकील प्रतिवादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी, श्री मनोज गालव, श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 21.08.2014 निर्णय दिनांक : 24.01.2019

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है उक्त उनवान के प्रकरण में सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.01.2019 का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है कि वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 02 की खसरा नं0 368 रकबा 02.46 है0, खसरा नं0 376 रकबा 04.38 है0, खसरा नं0 376/529 रकबा 01.30 है0, खसरा नं0 377 रकबा 01.86 है0 कुल किता 4 रकबा 10.00 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 04 खसरा नं0 334 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 335 रकबा 3.02 है0, खसरा नं0 335/437 रकबा 01.60 है0, खसरा नं0 335/514 रकबा 03.00 है0 कुल किता 4 रकबा 07.63 है0 ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित हे एवं दोनो खातों में वादी का 1/3–1/3 हिस्सा निहीत एवं प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का भी शामलाती खातों की आराजी में 1/3–1/3 हिस्सा निहित है एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 01 व 02 अपने–अपने हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी क्रम नं0 1 व 2 के मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 रंजिश वश शामलाती खाते की आराजी को बेचान करना चाहता है और प्रतिवादी क्रम 1 रोड के पास स्थित मौके की जमीन को बैचान करना चाहता है। जिससे वादी का शामलाती खाते की आराजी में आने जाने का रास्ता बंद हो जायेगा और कृषि करने में व्यवधान उत्पन्न होगा।

प्रतिवादी कम 1 को कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है कि शामलाती खाते की आराजी को बिना विधिपूर्वक विभाजन के रहन–दान बेचानकरें, क्योकि शामलाती खाते की प्रत्येक इंच–इंच भूमि पर सहखातेदारान का बराबर का अधिकार है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन होना शेष है। अतः उक्त वर्णित आराजी का बिना कानूनी विधिपूर्वक विभाजन के किसी अन्य व्यक्ति को रहन–बैचान तथा दान अथवा हस्तान्तरण न करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी गण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से वकील लिहाज हुसैन ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, और प्रतिवादी कम 2 की ओर से श्री मनोज गालव ने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया प्रतिवादी कम 2 खातून बेगम ने काउन्टर क्लेंम पेश करने अपना हिस्सा 1/3 पृथक कराकर पृथक से खाते दर्ज करने की प्रार्थना की। जवाब दावा प्रतिवादी कम 1 निम्नानुसार है:–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 में शामलाती खाते की आराजी में हिस्सा 1/3–1/3 होना स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 मनगंढत होना अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 के बीच पूर्व में आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है। जिसका करीबन 30 वर्ष हो चुके है। तब से ही प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से आराजी पर काबिज काश्त है। सिर्फ खाते विभाजन होना ही शेष है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार से लिखा गया हैं, अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 गलत है अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है पूर्ण विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है
08. वाद पत्र की मद नं0 8 व 9 कानूनी है।

विशेष आपत्ति :– प्रतिवादी कम 1 पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार ग्राम गुदरावनी की भूमि पर काबिज काश्त है, प्रतिवादी कम 1 ने उक्त आराजीयात को बंटवारे के बाद काफी पैसा व मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है, इसलिये वादी के मन में बदनियती आ जाने से अब गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद–पत्र प्रस्तुत किया हैं वादी को पाबंद किया जावे कि वह प्रतिवादी कम 1 के हिस्से व खाते की आराजीयात पर शांतिपर्वूक काबिज काश्त करने देवे तथा आराजियात को रहन–बैचान करने में रूकावट पैदा न करें। अप्रार्थी कम 1 सहखातेदार है इसलिए उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना कानून विरूद्ध है। अतः निवेदन है कि वाद वादी खारिज फरमावें।

प्रतिवादी कम 2 ने अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में कथन किया किः–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है शेष विवरण काउण्टर क्लेम में दर्ज है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। प्रतिवादी कम 2 स्वयं आराजी का विधिवत विभाजन कराने के लिए कई मर्तबा वादी व प्रतिवादी कम 1 से कह चुकी है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6, 7, 8 व 9 कानूनी है।

विशेष आपत्ति व काउण्टर क्लेम :– प्रतिवादी कम 2 का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/3 निहित है। प्रतिवादी कम 2 आराजी खाता संख्या 02 की खसरा नं0 368 रकबा 02.46 है0, खसरा नं0 376 रकबा 04. 38 है0, खसरा नं0 376/529 रकबा 01.30 है0, खसरा नं0 377 रकबा 01.86 है0 कुल किता 4 रकबा 10. 00 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 04 खसरा नं0 334 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 335 रकबा 3.02 है0, खसरा नं0 335/437 रकबा 01.60 है0, खसरा नं0 335/514 रकबा 03.00 है0 कुल किता 4 रकबा 07.63 है0 ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल जिला बारां में अपना हिस्सा 1/3 पृथक से खाते दर्ज कराना चाहती है। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हों। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाये जाने के साथ इस आशय की डिक्री सादिर फरमावें कि ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल की खाता संख्या 2 रकबा 10.00 है0 व ग्राम गुदरावनी की खाता संख्या 4 रकबा 7.63 है0 में से 1/3 हिस्सा विधिनुसार पृथक से प्रतिवादिया कम 2 के खाते दर्ज किया जावें।

वादी द्वारा प्रतिवादी कम 2 के काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। वादी द्वारा निम्न जवाब उल जवाब पेश हैः–

01. यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की आराजी वादी के पिता की थी उनके इंतकाल के बाद फौती इंतकाल से उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के नाम दर्ज हुई।
02. वादी के पिता अब्दुल रजाक ने अपने जीवन काल में अपनी आराजी की व्यवस्था कर दी थी और दोनो पुत्र अब्दुल हकीम व बाबूभाई के पक्ष में लिखित में दिनांक 03.11.1992 को पारिवारिक जायदाद का आपसी बंटवारा नामा रूबरू गवाहान इसराज अहमद पुत्र शाकिर मोहम्मद व नजीर मोहम्मद पुत्र अजीजुर्रहमान के समक्ष कर दिया था जब से ही दोनो भाई आपसी रजामंदी से समस्त

दोनो खाते की आराजीयात पर झांडवा वाली पर अब्दुल हकीम व गुदरावनी वाली पर बाबूभाई काबिज काश्त चले आ रहे है और वर्तमान में भी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

03. प्रतिवादी कम 2 ने मौखिक रूप से अपने हिस्से का त्याग कर देने से वादी के पिता ने आराजी में 1/2–1/2 हिस्सा किया है।

04. फौती इंतकाल के समय भी प्रतिवादी कम 2 ने स्वीकार किया कि मैं अपनी हिस्से का हक त्याग दोनो भाईयों के नाम कर दूंगी। इस तरह प्रतिवादी कम 2 का नाम 1/3 हिस्से पर खाते में दर्ज है।

05. वादी व प्रतिवादी कम 1 पिता के आपसी बंटवारा नामा दिनांक 03.11.1992 के अनुसार दोनो खातो की आराजी में अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी कम 2 का विवादित आराजी में किसी प्रकार का हिस्सा नही है। ना ही प्रतिवादी कम 2 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा है। प्रतिवादी कम 2 का कब्जा नही होने से प्रतिवादी कम 2 विवादित आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

06. माननीय उच्च न्यायादय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार सन् 2005 के पूर्व में पिता की आराजी में पिता की मृत्यु के बाद पुत्री हिस्सा समाप्त माना जा चुका है जबकि वादी के पिता का मृत्यु सन् 1998 को हो चुकी है।

अतः जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन हैकि प्रतिवादी कम 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2–1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जावें

वाद पत्र व जवाब दावा काउन्टर क्लेम तथा जवाबुल जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

01. आया वादग्रस्त आराजीयात वादी की पैतृक है जिसे प्रतिवादी कम–1 को बिना कानूनी विधिपूर्वक विभाजन रहन, दान, बैचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार नही है प्रतिवादी कम 2 विभाजन कराने की अधिकारी है। वादी

02. आया वादी/प्रतिवादी कम 1 के मध्य मौखिक विभाजन हो चुका है कब्जा काश्त अनुसार अपना हिस्सा पृथक कराने का वादग्रस्त आराजी से अधिकारी है। प्रतिवादी कम–1

03. आया वादी के साथ प्रतिवादी कम 2 वाद ग्रस्त आराजी से 1/3 हिस्सा प्रस्तुत वाद में धारा–53 काउण्टर क्लेम के साथ प्रथक कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम–2

04. आया प्रार्थी/प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से 1/3 को पृथक कराकर खाते दर्ज कराना चाहता है प्रतिवादिनी कम 2 के अनुसार ही प्रार्थी 1/3, 1/3 हिस्से में बंटवारा कराने के अधिकारी है सहमत भी है। प्रतिवादी कम–1

05. आया वादी व प्रतिवादी कम 1 वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी में इकरारनामा बंटवारा दिनांक 03.11.1992 के अनुसार विवादित आराजी में 1/2, 1/2 हिस्से पर अपने आप को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। व दौनो खातों में से प्रतिवादनी कम 2 का नाम खाते में से तर्क किऐ जाने के अधिकारी है। वादी

06. दादरसी

अपनी तनकीयो के समर्थन में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 अब्दुल हकीम, पीडब्ल्यू 2 इसराज अहमद के बयान करवाये गये दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी ग्राम झाइवां व प्रदर्श 2 जमाबंदी ग्राम गुदरावनी पेश करके प्रदर्श कराई।

प्रतिवादी कम 1 बाबूभाई के ओर से अपने स्वयं के बयान डीडब्ल्यू 1 करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 को अपने हिस्से 1/3 की जमाबंदी बताकर प्रदर्श कराया।

प्रतिवादी कम 2 खातून बेगम की ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 2 अब्दुल गफूर व डीडब्ल्यू 3 स्वयं खातून बेगम ने अपने बयान करवाये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 जमाबंदी ग्राम गुदरावनी प्रदर्श अ–2 जमाबंदी ग्राम झांडवा प्रदर्श–3 सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम गुदरावनी व प्रदर्श अ–4 सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम झांडवा प्रदर्श करवाई।

उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी। प्रस्तुत दस्तावेज का राजस्व रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के अनुसार निम्नानुसार तनकीवार निर्णय लिखा जा रहा है।

तनकी नम्बर 1 व 5 को वादी द्वज्ञरा साबित किया जाना है दौनो तनकी समान होने से एक साथ निर्णित की जा रही है।

तनकी नं0 1 व 5 :– वकील वादी का अपनी बहस में तर्क है कि पारिवारिक जायदाद का बंटवारा दिनांक 03.11.1992 को वादी के वकील साहब अब्दुल रजाक ने कर दिया था। ओर वादी तथा प्रतिवादी कम 1 को आराजी का 1/2, 1/2 हिस्सा दौनो ग्राम कमशः झांडवा व गुदरावनी में दे दिया था, तथा प्रतिवादीनी कम 2 को कोई हिस्सा नही दिया था, इस प्रकार मुताबिक बंटवारा दिनांक 03.11.1992 वादी व प्रतिवादी कम 1 को 1/2–1/2 हिस्से आराजी का खातेदार घोषित किया जावें। और प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि बिना बंटवारा करवाये रहन, बेचान, दान आराजी न करें यह भी बहस में बताया कि प्रतिवादनी कम 2

की कोई आराजी नही दी गई थी। पारिवारिक बंटवारा पत्रावली में शामिल है लेकिन न्यायालय द्वारा प्रदर्श नही कराया गया है, इस बाबत दिनांक 04.01.2019 को न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा चुका है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रदर्श अ–3 व प्रदर्श अ–4 ग्राम झांडवा व ग्राम गुदरावनी की आराजी है, जिनमें खातेदार अब्दुल रजाक पुत्र कादर बक्श है जिससे साबित है कि आराजी पुश्तैनी है, तथा पुश्तैनी आराजी में प्रत्येक उत्तराधिकारी का बराबर का हिस्सा होता है आगे अपनी बहस में बताया कि अब्दुल रजाक की मृत्यु के बाद उनके तीनो विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः वादी अब्दूल हकीम, प्रतिवादीगण बाबूभाई व खातून बेगम के नाम फौती इंतकाल दर्ज हुआ जिमी नकल प्रदर्श अ–1 व अ–2 है वकील प्रतिवादीगण ने बहस में कहा कि यदि वादी को खातून बेगम के नाम इन्तकाल खुलने से आपत्ति थी तो इंतकाल को चुनौती देते लेकिन वादी ने ऐसा नही करके प्रतिवादनी क्रम 2 के हिस्स 1/3 को मान्यता दे दी। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि पारिवारिक बंटवारा प्रदर्श नहीं हुआ है, इसलिए साक्ष्य में नही पढा जा सकता। यह भी बहस में बताया कि खातेदारी की घोषणा के लिए वाद घोषणा का पेश करना चाहिऐ था, धारा 188 आर0टी0एक्ट में खातेदारी की घोषणा नही की जा सकती, ओर किसी भी रेकार्डेड खातेदार को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया जा सकता जबकि स्वयं वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं0 2 में कथन किया है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त चले आ रहे है ऐसी स्थिति में रेकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती।

आगे अपनी बहस में बताया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम गुदरावनी व ग्राम झांडवा की आराजी में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्से के सहखातेदार है, इसलिए 1/3 हिस्से में खाता पृथक करने में कोई कानूनी बाधा नही है।

उभय पक्ष की उपरोक्त बहस से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पारिवारिक बंटवारा 03.11.1992 प्रदर्श नही हुआ है, इसलिए साक्ष्य में नही पढा जा सकता थोडी देर के लिए प्रदर्श भी मान लिया जावें तो उस बंटवारा के अनुसार प्रतिवादनी क्रम 2 का हक हिस्सा समाप्त किया जा रहा है और बंटवारे पर प्रतिवादनी के हस्ताक्षर भी नही है, इसलिए पारिवारिक बंटवारा 03.11.1992 को प्रतिवादनी क्रम 2 के विरूद्ध नही पढा जा सकता, वाद घोषणा का नही है, धारा 188 आर0टी0एक्ट0 का वाद है इससे 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा नही की जा सकती तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 राजस्व रेकार्ड के अनुसार रेकार्डेड खातेदार है अतः उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, अतः तनकी नम्बर एक व पांच वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2 व 4:– यह दौनो तनकी आपस में मिली होने के कारण तथा प्रतिवादी कम 1 को ही साबित करने से एक साथ निर्णित की जा रही है। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 1 ने जवाब दावा वाद पत्र का दिया है, और वाद पत्र में बंटवारे की कोई रिलीफ नही है, तथा प्रतिवादी कम 1 ने कोई काउन्टर क्लेम पेश नही किया है, जिससे प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से का बंटवारा नही करा सकता।

वकील प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपने जवाब दावे कि मद नं0 2 में प्रतिवादी कम 1 ने स्वीकार कर रखा है कि 1/3, 1/3 हिस्से में उसका नाम दर्ज है। जिरह में बाबू भाई ने बताया कि पारिवारिक बंटवारे की उसे कोई जानकारी नही है। मेरे हस्ताक्षर पारिवारिक बंटवारे पर कब करवाये मुझे पता नही है अभी मेंरे हिस्से पर मेरा पांतीदार कमल काश्त करता है। वकील ने आगे अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश करके प्रतिवादी कम 1 ने 1/3 हिस्से में हिस्सा पृथक करने की प्रार्थना न्यायालय से की है, तथा अपने बयानो में भी 1/3 हिस्सा पृथक कराकर पृथक से अपने खाते दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष की बहस सुनकर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुंचा है कि प्रतिवादी कम 1 का काउन्टर क्लेम नही है, लेकिन उसने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र देकर न्यायालय से प्रार्थना की है, जो शामिल पत्रावली है वैसे भी प्रतिवादी कम 1 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम झांडवा व ग्राम गुदरावनी में 1/3 हिस्से का सहखातेदार है और प्रतिवादी कम 1 अपना हिस्सा ही पृथक कराना चाहता है वादी व प्रतिवादी कम 2 भी इस बात से सहमत है कि प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 है इसलिए न्यायालय नरम रूख अपनाते हुए प्रतिवादी कम 1 का 1/3 हिस्सा संयुक्त खाते से पृथक करके पृथक से उसके खाते दर्ज करना न्यायोचित समझता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नम्बर दो व तनकी नं0 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादनी कम 2 खातून बेगम पर है। वकील प्रतिवादनी कम 2 ने अपनी बहस में बताया कि आराजी पुश्तैनी अ–3 व प्रदर्श अ–4 जमाबंदी कमशः ग्राम झांडवा व ग्राम गुदरावनी की है जिसमें आराजी प्रतिवादनी कम 2 के वालिद अबुल रजाक के नाम बतौर खातेदार दर्ज है उनकी मृत्यु के बाद फौती इंतकाल से आराजी बराबर–बराबर हिस्से में वादी व प्रतिवादीगण के नाम रिकार्ड में दर्ज की गई, आगे बहस में बताया कि प्रतिवादनी कम 2 अब्दुल रजाक की पुत्री है, वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी प्रदर्श अ–1 व प्रदर्श अ–2 में उसका नाम बतौर सहखातेदार 1/3 हिस्से में दर्ज है। इसलिए प्रतिवादनी अपना हिस्सा 1/3 पृथक कराना चाहती है। वादी ने पूर्व की भांति तर्क दिया है कि प्रतिवादनी कम 2 का नाम खाते में दर्ज है लेकिन मुताबिक बंटवारा 03.11.1992 अ0

वहाक ने खातून बेगम को कोई हिस्सा नही दिया है, इसलिए प्रतिवादनी कम 2 आराजी का बंटवारा नही कर सकती। न्यायालय वकील वादी की बहस से सहमत नही है वकील प्रतिवादी कम 2 की बहस से सहमत होकर प्रतिवादनी कम 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करना न्यायोचित समझता है कोई भी रेकार्डेड सहखातेदार अपना हिस्सा पृथक कराने को स्वतंत्र है, इसमें कोई कानूनी बाधा नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादनी कम 2 के पक्ष में किया जाता है।

दादरसी:– तनकी नं0 एक लगायत 5 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादी स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किऐ जाने का आदेश दिया जाता है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादनी कम 2 खातून बेगम स्वीकार किया जाकर व प्रतिवादी कम 1 बाबूभाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 02 की खसरा नं0 368 रकबा 02.46 है0, खसरा नं0 376 रकबा 04.38 है0, खसरा नं0 376/529 रकबा 01.30 है0, खसरा नं0 377 रकबा 01.86 है0 कुल किता 4 रकबा 10.00 है0 वाके ग्राम झाडवां तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 04 खसरा नं0 334 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 335 रकबा 3.02 है0, खसरा नं0 335/437 रकबा 01.60 है0, खसरा नं0 335/514 रकबा 03.00 है0 कुल किता 4 रकबा 07.63 है0 ग्राम गुदरावनी तहसील मांगरोल में प्रतिवादी कम 1 बाबु भाई का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादनी कम 2 खातून बेगम का 1/3 हिस्सा पृथक किया जाकर पृथक–पृथक खाते दर्ज किऐ जाने के आदेश दिऐ जाते है।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र कमांक/भू0अ0/2019/315 दिनांक 23.01.2019 से बंटवारा स्कीम प्रस्तुत की। जो शामिल फाईल किया गया एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन किया गया। प्रतिवादी कम 1 बाबूभाई ने अपने हिस्से में ग्राम गुदरावनी की आराजी लेना स्वीकार किया तथा ग्राम झाडवा की आराजी का हिस्सा छोड दिया। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 2 खातून बेगम ने ग्राम गुदरावनी व ग्राम झाडवां में आराजी प्राप्त की। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वकील प्रतिवादीगण व पक्षकार सहमत है। तदनुसार ग्राम झाडवां के खसरा नं0 368 रकबा 2.46 है0, खसरा नं0 376 रकबा 4.38 है0, खसरा नं0 376/529 रकबा 1.30 है0, खसरा नं0 377 रकबा 1.86 है0, कुल किता 4 रकबा 10.00 है0 तथा ग्राम गुदरावनी के खसरा नं0 334 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 335 रकबा 3.02 है0, खसरा नं0 335/437 रकबा 1.60 है0, खसरा नं0 335/514 रकबा 3.00 है0 कुल किता 4 रकबा 7.63 है0 भूमि में अब्दुल हकीम, बाबूल भाई पुत्र अब्दुल रजाक खातून बाई पुत्री अब्दूल रजाक हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त भूमि में हिस्सा 1/3–1/3 का बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:–

1. बाबूभाई पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान सा0 देह रहन एसबीआई शाखा मांगरोल को ग्राम गुदरावनी के खसरा नं0 334 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 चाह, खसरा नं0 335 रकबा 3.02 है0

(जाद 3 रकबा 0.28 है0 लगान 3.36 रू0, चाही 3 रकबा 2.74 है0 लगान 65.76 रू0), खसरा नं0 335/514 उत्तरी रकबा 2.85 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 19.95 रू0 कुल किता 3 रकबा 5.88 है0।

2. अब्दूल हकीम पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान साकिन मांगरोल को ग्राम गुदरावनी के खसरा नं0 335/437 रकबा 1.60 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 11.20 रू0, खसरा नं0 335/514 दक्षिणी रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 1.05 रू0 कुल किता 2 रकबा 1.75 है0।
3. अब्दूल हकीम पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान साकिन मांगरोल को ग्राम झाडवां के खसरा नं0 368 रकबा 2.46 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 17.22 रू0, खसरा नं0 377 दक्षिणी रकबा 1.67 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 11.69 रू0 कुल किता 2 रकबा 4.13 है0।
4. खातून बेगम पुत्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान साकिन मांगरोल को ग्राम झाडवां के खसरा नं0 376 रकबा 4.38 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 30.66 रू0 खसरा नं0 376/529 रकबा 1.30 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 9.10 रू0, खसरा नं0 377 उत्तरी रकबा 0.19 है0 किस्म बारानी द्वितीय लगान 1.33 रू0 कुल किता 3 रकबा 5.87 है0।

अतः उपरोक्तानुसार प्रत्येक सहखातेदारान का खाता तन्हा रूप से पृथक किया जाता है। पृथक लगान कायम किया जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नं0 खातेदारों के दर्ज किया जावें। तदनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना